भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**लोक सभा**

लिखित प्रश्न सं. 2226

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**ऐतिहासिक स्थलों और वनों का विकास**

**2226. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारों पर्यटक अयोध्या मठ और कुइलापाल के प्राकृतिक वनों, अयोध्या पहाड़ियों, बागमुंदीह स्थित झरनों और आदिवासी बस्तियों, पंचेत, मुर्गुमा और फुटियारी जैसे बांधों, पंचकोट, राज पैलेस जैसी विरासत इमारतों, शानदार सिर से सजी ट्रैकिंग रेंज की सुंदरता और आकर्षण का अनुभव करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में आते हैं;

(ख) क्या सरकार अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन ऐतिहासिक स्थलों और वनों को विकसित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): पर्यटन मंत्रालय पर्यटक आगमन का जिला-वार डेटा तैयार नहीं करता है। हालांकि वर्ष 2022 और 2023 के लिए पश्चिम बंगाल का पर्यटक यात्राएं संबंधी डेटा निम्नानुसार है:-

| वर्ष | घरेलू पर्यटक यात्राएं | विदेशी पर्यटक यात्राएं |
|---|---|---|
| 2022 | 8,45,42,195 | 10,37,017 |
| 2023 (अ) | 14,56,69,292 | 27,06,942 |

अ- अनंतिम

स्रोत: राज्य पर्यटन विभाग

(ख) से (घ): पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से वित्तीय सहायता प्रदान कर पर्यटन अवसंरचना

विकास के प्रयासों को सम्पूरित करता है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2015-16 में पश्चिम बंगाल राज्य में तटीय परिपथ थीम के अंतर्गत 67.99 करोड़ रु. की राशि से 'तटीय परिपथ: उदयपुर-दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमणि-फ्रेजरगंज-बक्खलाई-हेनरी द्वीप का विकास' नामक एक परियोजना को स्वीकृति दी थी जो भौतिक रूप से पूरी हो चुकी है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016-17 में प्रशाद योजना के तहत 'बेलूर मठ का विकास' नामक परियोजना के लिए 30.03 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे।

पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है। योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर विभिन्न गंतव्यों की पर्यटन क्षमता का विश्लेषण कर राज्य परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करते हैं और इसके पश्चात् पर्यटन मंत्रालय द्वारा उक्त योजना के तहत विकास के लिए गंतव्यों का चयन किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय को एसडी 2.0 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य परिप्रेक्ष्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

*******